

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड-249199

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित



www.sdsuv.ac.in

स्नातकोत्तर – प्रथम सेमेस्टर

प्रवेश नियम 2025

प्रवेश नियम
(शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से प्रभावी)
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु प्रवेश नियम
अध्याय-1

साधारण नियम

- 1.1. विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति (समर्थ पोर्टल) के माध्यम से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2. विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। उत्तराखण्ड शासन का समर्थ पोर्टल अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1.3. परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं का उत्तराखण्ड शासन के समर्थ प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1.4. उत्तराखण्ड शासन के समर्थ प्रवेश पोर्टल के माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1.5. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1.6. किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.7. (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर विश्वविद्यालय के अनुचित साधन प्रयोग के स्तर 05, 06 अथवा 07 के अनुरूप दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में वर्णित प्रावधानों की सीमा तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।
- 1.10. प्रवेशार्थ किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 1.11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1— अनुसूचित जाति | 19 प्रतिशत |
| 2— अनुसूचित जनजाति | 04 प्रतिशत |
| 3— अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत |
| 4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) |
- (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

- | | |
|--|------------|
| (1) महिलाएँ | 30 प्रतिशत |
| (2) भूतपूर्व सैनिक | 05 प्रतिशत |
| (3) दिव्यांग | 05 प्रतिशत |
| (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित | 02 प्रतिशत |

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- (i) Extension in date of admission upto 30 days
- (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- (iii) increase in intake capacity as per provisions of UGC/ Government. Reservation of at least one seat in merit quota in technical/ professional institutions.
- (iv) Waiving of domicile requirements.
- (vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1.13. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

- (क) एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर) 20 अंक
- (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन— 20 अंक
- (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन— 20 अंक
- (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक
- (च) अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक
- (छ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल फैंडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 30 अंक
- (ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खेल प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक
- (ठ) अन्तर-महाविद्यालय स्तर में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट — उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1.14. (क) यदि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- (ग) विद्यार्थियों का स्थानान्तरण केवल विषम सेमेस्टर्स में ही अनुमन्य होगा।

1.15. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु —

- 1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि अध्यादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

2. विश्वविद्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिये जाने की तिथि से 01 माह के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परिसर/महाविद्यालय में जमा कर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी सूचना अविलम्ब प्रेषित किया जाना भी अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1.16. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1.17. (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1.18. सम्बन्धित महाविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के समापन के पश्चात आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विश्वविद्यालय/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विनिष्टिकरण कर दिये जायेंगे।
- 1.19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संशोधन का अधिकार—विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कुलसचिव,

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम
(शिक्षा सत्र 2025-2026)

अध्याय-2

- 2.1. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 05 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- 2.2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्त कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2.3. यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त विद्यार्थी पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी द्वारा परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में उत्तराखण्ड शासन के ऑनलाईन समर्थ प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रवेश अध्याय 01 के नियम 1.9 (ख) के अन्तर्गत अमान्य न हो।
- 2.4. शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2.5. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2.6. स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू०जी०सी० के निर्देशानुसार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के "सेन्टर ऑफ एडवांस स्टडीज" विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निर्गत निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।
- 2.7. **विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर (P.G.) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियमावली-**

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (विज्ञान संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल स्नातक स्तर में पढ़े हुए विषयों में ही अर्ह माने जायेंगे।

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न 02 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित दिशा-निर्देशानुसार किया जायेगा -

1. अभ्यर्थी को स्नातक कार्यक्रम (अर्हता पाठ्यक्रम) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
2. एकल-केंद्रित पाठ्यक्रम (Single Core Discipline) वाले स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों ने संबंधित विषय को अपने स्नातक पाठ्यक्रम (B.Sc.) के सभी सेमेस्टर्स में एक प्रमुख विषय (Major Subject) के रूप में अध्ययन एवं उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो वार्षिक पद्धति या CBCS सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक कार्यक्रमों के आधार पर स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने संबंधित विषय को अपने स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन और उत्तीर्ण किया हो।
4. जिन स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में किसी विशिष्ट विषय की अध्ययन की अनिवार्यता निर्धारित नहीं है, उन कार्यक्रमों पर उपरोक्त 02 व 03 पर वर्णित शर्तें लागू नहीं होंगी।
5. स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहाँ लागू हों) - अधिमान के रूप में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक $I = (X+2Y)$ के 05 प्रतिशत (अधिकतम 150 अंक) अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

Index Calculation for Admission to P.G. Semester-I (Wherever Applicable)

Merit Index (I) = $X + 2Y$

Where -

- X = Total marks obtained in all subjects at the undergraduate (U.G.) level
- Y = Total marks obtained at the U.G. level in the specific subject for which admission is being sought at the P.G. Semester-I level

नोट समस्त परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि यदि समर्थ पोर्टल से प्राप्त पंजीकरण डेटा में यदि मैरिट इन्डैक्स तैयार किये जाने में नार्मलाईजेशन नहीं किया गया है, तो परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर ही नार्मलाईजेशन किये जाने के उपरान्त नया मैरिट इन्डैक्स तैयार किया जाना आवश्यक होगा।

2.8. कला संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर (P.G.) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियमावली -

कला संकाय के विभिन्न दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अधीन किया जाएगा -

1. शैक्षिक योग्यता -

प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का स्नातक (B.A/B.Com/B.Sc.) डिग्री धारक होना अनिवार्य है, जिसकी न्यूनतम अवधि तीन वर्ष हो तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त की गई हो। साथ ही, अभ्यर्थी को स्नातक स्तर की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. विषयगत अर्हता (Subject & Specific Eligibility) -

जिन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक परीक्षा (Practical Examination) निर्धारित है। जैसे भूगोल, चित्रकला, गृहविज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, पुरातत्व शास्त्र, मानव विज्ञान (Anthropology), शिक्षा शास्त्र तथा सैन्य विज्ञान इत्यादि उनमें केवल वे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु निर्मित अध्यादेश 2022 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रत्येक सेमेस्टर में प्रमुख विषय (Major Subject) के रूप में पढ़ा और उत्तीर्ण किया हो।

Transitory Provision (अस्थायी प्रावधान)

1. CBCS/वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक-

वे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई वार्षिक प्रणाली या CBCS (Choice Based Credit System) के अंतर्गत की है, उन्हें भी उसी विषय में स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा यदि उन्होंने वह विषय स्नातक स्तर पर अध्ययन करके उत्तीर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु पूर्व-आवश्यकता (Prerequisite)-

वे स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिनमें किसी विशिष्ट विषय की पूर्व-अर्हता निर्धारित नहीं है, उपर्युक्त विषयगत शर्तों के अधीन नहीं।

2.9. वाणिज्य संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर (P.G.) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियमावली—

1. वाणिज्य संकाय के विभिन्न दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (जैसे M.Com. इत्यादि) में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
2. **CBCS/वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक—**
वे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री CBCS (Choice Based Credit System) अथवा वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त की है, वे भी पात्र माने जाएंगे, यदि उन्होंने वाणिज्य विषय (Commerce) में स्नातक स्तर पर अध्ययन करके उसे उत्तीर्ण किया हो।
3. **प्रमुख विषय (Major Subject) की शर्त (जहां लागू हो)—**
यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य के राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु निर्मित अध्यादेश 2022 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में नामांकित है, तो उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि उसने वाणिज्य विषय को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रमुख विषय (Major Subject) के रूप में पढ़ा और उत्तीर्ण किया हो, तभी यह स्नातकोत्तर (Commerce) में प्रवेश हेतु पात्र होगा।
4. **प्रवेश हेतु पूर्व-आवश्यकता (Prerequisite) —**
जिन वाणिज्य विषयक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में किसी विशेष विषय की पूर्व आवश्यकता निर्धारित नहीं है, उनमें केवल न्यूनतम अंकों की शर्त (40 प्रतिशत) लागू होगी, तथा अन्य विषयगत शर्तें लागू नहीं होंगी।

2.12. जो पाठ्यक्रम किसी अन्य नियामक संस्थाओं (Regulatory Bodies) से आच्छादित हैं ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियम ही मान्य होंगे। इन पाठ्यक्रमों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संशोधन का अधिकार — विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव,

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।

प्रारूप (क)

विद्यार्थी द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूंगा/करूंगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।
7. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग सम्बन्धी विनियम 2009 एवं तथा भविष्य में प्रख्यापित सम्बन्धित विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतिबन्धित एवं निषिद्ध रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के कृत्य में सम्मिलित नहीं रहूंगा/रहूंगी। रैगिंग के किसी भी प्रकार के मामले में संलिप्त/अपराधी पाए जाने पर मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

प्रारूप - (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती.....जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर - पिता/अभिभावक

प्रतिहस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के प्रवेश समिति के अध्यक्ष/नामित सदस्य द्वारा)